

कर्मचारी मविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के घारा 1 (4) के अंतर्गत स्वेच्छा से व्याप्ति के लिए अधिकांश कर्मचारियों का सहमति पत्र

Consent Letter of Majority of Employees for Voluntary Coverage under Section 1(4) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

वारीख/Date 21-05-2024

सेवा में/	To,		30.5	
4 .	1 0 0 1	onal Provident Fund Commiss Idwari omplex, Opposite Ju (शासाएं 3		Nainited Road (
Ind f	floor khurana Co	omplex, Opposite Ju	idges Courter	rakhand -26313
विषय : Sub :	प्रकीर्ण उपकंध अधिनियम 1952	की धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार Provident Funds and Miscella gineexing WOYK&	करने की सहमति के लिए	1952 under Section 1(4)
महोदय/	Sir.			
	हम अद्योहस्ताक्षरी गेसर्स			(शाखाओं सहित) के
पर व्यापि हिस्से व	देत के लिए सहमत है तथा हम का मविष्य निधि अंशदान की _		त अधिसूचना के अंतगत मा से देने को इच्छुक है। हर	से स्वैष्ठिक आधार ह की अंतिम तिथि को अपने वचन भी देते हैं कि उक्त
We (includ Miscel month Provid	the undersigned majori- ting branches etc.) do heret llaneous Provisions Act, 19 in which the notification tent Fund contribution at the	समय पर जारी संशोधनों का पाल by of employees of M/s by consent and apply to be cov 052 on voluntary basis with et is published in the Gazette of e rate of	fered under the Bengloye fect from \$0.05.3 India, and we are will lso undertake to abide b	93.9 the last date of the ling to pay our share of
2. हम		नविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपब		1 (4) के अंतर्गत आवश्यक
We	e request that necessary not	ification under Section 1(4) of		t an early date. य/Yours faithfully
SING	नाम/Name	पिता का नाम/Father's name	जन्म तिथि/Date of Birth	हस्ताक्षर/Signature
-		V. Saldah	ml ni 1000	Later De C

SI No	नान / Name	पिता का नाम/Father's name	जन्म तिथि / Date of Birth	हस्ताक्षर / Signature
1	Ashwani ky Tiwan	Vairishtan		Ashwanitiman
2	THE VALUE OF THE PARTY OF THE P	Balaam Mishra	16-10-2002	स्वार्मिस्
3	Kallan Khan	safik Khan	03-05-1977	chad-1

धारा 1(4) के अंतर्गत विस्तार करने हेतु मैसर्स	के अधिकांश कर्मचारियो सहमति पत्र
(জাহা) Consent of majority of Employees of M/s coverage under Section 1(4) (Continued)	Mamta Engineering Works for
coverage under section 1(4) (continued)	

4	SgroJ	Anand Kymar Mish		राभावा,
5	Rayindag Rao	Vindeshwarika	16-06-1973	Jereny)
6	Ravi kumar Saxen	Saxena	00-06-1488	a leveny
7	Kumari Akanksha		05-07-1993	KUMARI AKANKSHA
8	Mamta Tiwan	The state of the s	08-01-1992	- अत्रता
9	Asyan Mishra	William Control of the Control of th		Asun
10	Radosh	KailashTiwai	20-07-1990	राजेश
11		The state of		
12	1 3 3 4 4 A			WI THE SE
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19			11-15	

put additional sheets if so required

नियोक्ता द्वारा अनुप्रमाणित Counter Signed by Employer

नियोजक की सहमति Consent of Employer

	मैं / हम		मेसर्स <u> </u>				-
के स्व	की / क्रिकेशक / आसीवाव आ	ज्य को जाउगान में	टिसांक	माह	के अतिम दिन का	जब अध्यसूचना प्रय	MEN
fixm	मना को अधीनकी प्रतिका वि	शि एवं विकास पकी	णि लपबन्ध अधि	नेयम की धारा 1	(4) के अंतगत स्वार	किक आवार नर न्या	
Pan a	क्षतेलय करते हैं। मैं / रम f	नेगोजक के रूप में	इस अधिनियम	की धारा 6 तथा	6 के कमचारा भाव	व्य निध योजना, १४६	32 4
रीजा २	o एतं ३० तथा कर्मचारी पेंडा	न योजना १९९५ हि	जिसे पैरा 28 एवं	39 तथा कर्मचार	भविष्य निधि योज	ना 1952 के परा भार	41 30
एतं क	के अंतर्गत यथापबन्ध प्रभार	के साथ पढ़ा जाए	ए. के अंतर्गत तथ	ग प्रावधान किया	गया है।	प्रातशत क	01 44
से भा	वेष्य निधि तथा पेंशन निधि	अंशदान के मेरे / ह	मारे हिस्से का भ	गतान करने का	एतद्द्वारा वचन देत	ने ह तथा समय सम	य पर
तथा '	प्रकार प्रकारिक व्यक्तिक स्वापिक	के अंतर्गत बनाई ग	र्द नियमों के सर्भ	ो प्रावधानों तथा	शर्ता का पालन कर	त है।	Now Co
Propunde basis publ Prov of th Emp	I/We	of M/s Man mployees' Prov 0 - 05 - 26 2 9 India, I/We, as of Fund contribution agraph 29 and 3 e. 1995 and Add s Scheme. 1952	ident Funds are the later than the later the rate of the state of the	neering land Miscellance ast date of the ohereby under of .13.5% s' Provident Finarges as provoy all provision	do hereby ous Provision Ac e month in whice rtake to and will 6, as provided un unds Scheme, 19	apply for cover et, 1952 on volume the Notification pay my/our share der Section 6 and 52 and paragraph graphs 38 and 39	n is e of 1 6A 4 of 9 of
. 9	अधिकतम कर्मचारी अंशदान व मविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उप सहमत हैं। इस संबंध में उनव	बन्ध अधिनियम तथ	या उसके अंतर्गत	शत की दर से भु बनाई गई योज	गतान करने के लिए ना के उपबन्धों के	र इच्छुक हे तथा कम अनुपालन करने के	त्वारा लिए
	The majority of the empl			shares of contr	ributions at the ra	ate of .2.4:5. %	and
	have agreed to comply w Act, 1952 and the Schem	ith the provision	is of the Emplo	yees' Provider	nt Funds and Mis	cellaneous Provisi	ions
3.	मैं / हम नियोजन के रूप में	हम वादा करते हैं।	कि हम कर्मवारी	निक्षेप सहबद्ध बी	मा योजना, 1976 के	अंशदान को उक्त ि	नेयम
	की धारा 6 (ग), जिसे उक्त	स्कीम के पैरा 7 व	के साथ पढ़ा गय	ा है, के अंतर्गत	तथा उल्लिखित 0.5	प्रतिशत की दर से	तथा
	योजना के पैरा 3 के अंतर्ग आवश्यकताओं, संविधिक तथा				AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	गे तथा सभी प्रावधान	नों व
	I/We, as employer(s) d Scheme. 1976 Contribut paragraph 7 of the said paragraph 3 of the Sche framed there under from	ions at the rate i Scheme and me and to abide	of 0.5% as pr Administrative	rovided under Charges at t	Section 6C of the he rate of 0.019	ne said Act read v % as provided ur	with nder
	मैं/हम यह भी आश्वासन दें योजना के अधीन लामों कर्मचारियों को बढ़ाएंगे। ऊ कर्मचारियों ने सहमति दी है	को मेरे/हमारे उ पर उल्लिखित सं	ान्य शाखाओं/व	गर्यालयों / कर्मचा	रेयों / एककों / विभाग	गों / फैक्ट्रियों में का	र्यरत
	I/We, also undertake an Provident Funds and M branches/offices/units/de concerns have also subse	d agree to exte fiscellaneous Pr epartments/factor	rovisions Act, ries. The major	1952 to the crity of the world	employees emplo kers employed in	ved in my/our or	ther
	मुझे / हमें नियोजक (को) के मैं / हम कर्मचारी भविष्य नि समय-समय पर केन्द्रीय सरव	घि योजना, 1952 कार द्वारा तथा निघ	के पैरा 39 कर्म पिरत आवश्यक प्र	चित्रोरी निक्षेप सह शासनिक प्रभारों व	बद्ध बीमा योजना. के मुगतान करने की	1976 के पैरा 8 और जिम्मेदारी लेते है।	तथा तर्गत
	I/We, as employer(s) has and I/We, undertake to time to time under parag Employees' Deposit Lin	pay the necessar graph 39 of the	ry administrativ Employees' Pr	ve charges as I	fixed by the Cent	ral Government 6	rom the

 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक व्यावस्था करें।

Necessary Arrangements may kindly be made to issue the necessary notification under Section 1 (4) of the Act, by the Central Provident Fund Commissioner.

Seal

भवदीय / Yours faithfully

नियोजक (कों) का हस्ताक्षर/Signature of Employer(s)